न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :–136/23 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2023/156)

1. ओमप्रकाश पुत्र धूड़या जाति नाई उम्र 45 वर्ष निवासी खण्डार तहसील जिला सवाई माधोपुर
2. ओमबन्ती पुत्री धूड़या जाति नाई उम्र 48 वर्ष निवासी खण्डार तहसील जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र माधो उम्र 58 वर्ष
2. कैलाश पुत्र माधो उम्र 53 वर्ष
3. गजानन्द पुत्र माधो उम्र 49 वर्ष सभी जातियान नाई निवासीयान खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
4. तहसीलदार लैण्ड होल्डर, तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

.....रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1468 दिनांक 22.03.1984 ग्राम पंचायत खण्डार व निर्णय दिनांक 08.12.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार

उपस्थितिः–

1. श्री भोला शंकर शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. श्री श्याम मोहन शर्मा वकील रैस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3।

निर्णय

दिनांकः– 28.12.2023

उक्त द्वितीय अपील एल.आर.एक्ट की धारा 76 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खण्डार की ओर से स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 1468 दिनांक 22.03.1984 व उपखण्ड अधिकारी खण्डार की ओर से पारित आदेश दिनांक 08.12.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में मामला इस प्रकार से है कि अपीलान्ट के पिता की ओर से ग्राम पंचायत खण्डार की ओर से स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 1468 दिनांक 22.03.1984 जिसके द्वारा खसरा नंबर 656 रकबा 5 बीघा भूमि का नामान्तकरण लड्डू से धूड़या व माधो के नाम स्वीकार किया गया था, के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी खण्डार के न्यायालय में एल.आर.एक्ट की धारा 75 के तहत प्रथम अपील पेश की गई थी। जिसमें ग्राम पंचायत खण्डार की ओर से स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 1468 दिनांक 22.03.1984 को अपास्त घोषित कर लड्डू पुत्र सोन्या नाई की अलोटशुदा भूमि का नामान्तकरण अपीलान्ट के नाम दर्ज किये जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त अपील पेश होने पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए उपखण्ड अधिकारी खण्डार के द्वारा निर्णय दिनांक 08.12.2016 से अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किया गया। उपखण्ड अधिकारी खण्डार की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.12.2016 के विरूद्ध उक्त द्वितीय अपील अदालत हाजा मे पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली तलब की गई। रैस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से श्री श्याम मोहन शर्मा एडवोकेट उपस्थित हुए तथा

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

रैस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली प्राप्त होने पर वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.12.2016 विधिविरूद्ध एवं तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत ने ग्राम पंचायत खण्डार के द्वारा स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 1468 दिनांक 23.03.84 के विरूद्ध अपील पेश की गई थी। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी अपीलान्ट के द्वारा उठाये गये आक्षेप का सही विवेचन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्यों का न तो अवलोकन किया और न ही न्यायिक विवेचन किया। जबकि नामान्तकरण संख्या 1468 के अवलोकन से ही यह स्पष्ट है कि उक्त नामान्तकरण में भारी कांटाफासी कर बिना कोई लघु हस्ताक्षर किये फर्जी रिपोर्ट के आधार पर मृतक लड्डू नाई की खातेदारी का नामान्तकरण धूड्या के साथ–साथ माधो के नाम खोला गया। जबकि माधो या उसके उत्तराधिकारों का लड्डू की भूमि से कोई संबंध या वास्ता नहीं था। विवादित खसरा नंबर 656 रकबा 5 बीघा लड्डू की स्वअर्जित सम्पत्ति थी। लड्डू द्वारा धोड्या को गोद लिया गया था। जिसके दो पुत्र अपीलान्टस हैं। लड्डू के उत्तराधिकारी मौजूद होने के बाबजूद नामान्तकरण में कांटाफांसी कर फर्जी रूप से माधो का नाम दर्ज किया गया तथा माधो की मृत्यु के बाद रैस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के पक्ष में नामान्तकरण खोला गया है, जो कि स्वतः ही निरस्तनीय है। वकील अपीलान्ट ने यह तर्क दिया कि सोन्या जो कि लड्डू का पिता था, के 3 पुत्र लड्डू, भोरया व माधो थे। जिनमें से भोरया की पूर्व में मृत्यु हो गई थी। लड्डू द्वारा अपीलान्टस के पिता धूड्या को गोद लिया गया था तथा माधो के रैस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 पुत्र थे। सोन्या के पुत्र भोरया तथा उसकी पत्नि की मृत्यु धूड्या की नाबालिग अवस्था 7 वर्ष की उम्र हो गई थी। धूड्या को लड्डू जिसके कोई संतान नहीं थी, ने बतौर गोद पुत्र ले लिया और धूड्या का पालन पोषण बतौर पुत्र लड्डू द्वारा किया गया। धूड्या द्वारा जब होश संभाला गया तब से ही लड्डू की अचल सम्पत्ति पर बतौर उत्तराधिकारी काबिज रहा है तथा धूड्या की मृत्यु के बाद अपीलान्टस उक्त भूमि पर काबिज है। इस बिन्दु पर अदालत मातहत द्वारा गौर नहीं किया गया। मुताबिक सजरा सोन्या के 3 संतान थी। जिसमें से लड्डू के कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। इस कारण भोरया के लड़के धूड्या को 8 वर्ष की उम्र में लड्डू ने गोद ले लिया था व बतौर दत्तक पुत्र धूड्या लड्डू की चल–अचल सम्पत्ति पर बतौर मालिक काबिज चला आ रहा है तथा धूड्या की मृत्यु के बाद अपीलान्ट काबिज है। अपीलान्ट के पिता को सामाजिक रीति–रिवाज के अनुसार गोद लिया गया था। लड्डू को राज्य सरकार द्वारा आराजी खसरा नंबर 656 रकबा 5 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। जिस पर काश्त करके लड्डू अपना पेट पालता था। लड्डू ताजिन्दगी अपने गोद पुत्र धूड्या के साथ रहा तथा लड्डू की बुजुर्ग अवस्था में धूड्या ने ही देखभाल की तथा मृत्यु पर समस्त किया कर्म भी धूड्या द्वारा ही सम्पादित किये गये। धूड्या की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण लड्डू के किया कर्म करने व अन्य रश्म अदायगी के लिए छीतरमल से 1500 रूपये उधार लिए थे। जिसमें से कुछ रकम 1985 में व कुछ रकम 1987 में चुकता की थी। इसकी रसीद भी पेश की गई है। लड्डूलाल के अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के खाते में जमा राशि भी धूड्या को ही

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

मिली थी। अपीलान्ट मृतक धूड़या के पुत्र व पुत्री हैं। जब तक धूड़या जिन्दा रहे तब तक धूड़या के साथ व मृत्यु के बाद लड्डू व धूड़या द्वारा छोडी गई चल अचल सम्पत्ति का निरन्तर उपयोग व उपभोग कर रहे हैं। आराजी खसरा नंबर 656 रकबा 5 बिस्वा ग्राम बंधा की पाल कस्बा खण्डार भी इसमें शामिल हैं। उक्त भूमि से रैस्पोडेन्ट का कोई संबंध वास्ता नहीं है। अपीलान्ट के पिता धूड़या अनपढ़ था, जो केवल हस्ताक्षर करना जानता था। रैस्पोडेन्ट चालाक किस्म के लोग हैं। जिन्होंने चालाकी से नामान्तकरण संख्या 1468 दिनांक 22.03.84 को अपने पक्ष में आधे भाग का नामान्तकरण खुलवा लिया। उक्त नामान्तकरण खोलने से पूर्व न तो मौके की जॉच की गई और न ही वारिसान की जॉच की गई। वर्ष 1984 में ग्राम पंचायत को नामान्तकरण खोलने का अधिकार नहीं था। उस समय केवल तहसीलदार को ही नामान्तकरण खोलने का अधिकार था। फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर रैस्पोडेन्ट के पक्ष में नामान्तकरण खोला गया है, जो कि क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत की ओर से खोले गये नामान्तकरण के कॉलम संख्या 9 में भी काटा–पीटी की गई है। इससे भी नामान्तकरण की फर्जकारी साबित होती है, परन्तु अदालत मातहत ने इन तथ्यों पर कोई गौर नहीं किया। दिनांक 13.07.2011 को रैस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट को उक्त खसरा नंबर से काश्त करने में मजामत पैदा करने पर अपीलाधीन नामान्तकरण के बारे में जानकारी हुई। जिस पर दिनांक 14.07.2011 को नकल प्राप्त करने पर अदालत मातहत में अपील पेश की गई। जिसे बिना किसी आधार के अदालत मातहत द्वारा खारिज किया गया। धूड़या को लड्डू द्वारा गोद लिये जाने के संबंध में जागा की पोथी में भी इन्द्राज है। जिसकी लिखा–पढ़ी पेश की गई है। अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को अभिभाषक द्वारा नहीं दिए जाने के कारण तत्समय जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 27.02.2017 को अभिभाषक से सम्पर्क किये जाने पर अपीलाधीन निर्णय के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। उक्त जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय की नकल हेतु आवेदन पेश किया गया तथा नकल प्राप्त होने के अन्दर मियाद अदालत हाजा में अपील पेश की गई है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार करते हुए स्वीकार की जावे, नामान्तकरण संख्या 1468 दिनांक 22.03.84 में माधो के नाम खोला गया नामान्तकरण संख्या हिस्सा 1/2 की हद तक निरस्त किया जावे तथा इसके बाद रैस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के पक्ष में खोला गया नामान्तकरण भी निष्प्रभावित घोषित करते हुए विवादित आराजी का नामान्तकरण अपीलान्ट के पक्ष में खोले जाने का आदेश पारित किया जावे।

अपीलान्ट द्वारा की गई बहस के प्रतिउत्तर में रैस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के अभिभाषक ने लिखित बहस पेश करते हुए तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित होने के कारण किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है, क्योंकि अपीलान्ट की ओर से नामान्तकरण संख्या 1468 दिनांक 22.03.1984 को लगभग 27 वर्ष बाद वर्ष 2011 में चुनौती दी गई थी। जिसमें मनगढंत आधार प्रस्तुत किये गये थे। दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में भी अपील पेश करने हुए विलम्ब के संबंध में कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया गया था। इसके अलावा अदालत हाजा में भी अपीलान्ट की ओर से मियाद बाहर अपील पेश की गई है। इसलिए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद संबंधी बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। वकील रैस्पोडेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि जिस नामान्तकरण के

संबंध में अपीलान्ट द्वारा अदालत हाजा मे अपील पेश की गई है। उस भूमि को रैस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा श्रीमती विजयलक्ष्मी पत्नि शिवशंकर को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया गया है। तब से लेकर आदिनांक तक विजयलक्ष्मी पत्नि शिवशंकर उक्त भूमि पर काबिज रहकर काश्त कर रही है। अपीलान्ट द्वारा केता विजयलक्ष्मी को उक्त अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया। जबकि विजयलक्ष्मी के पक्ष में हुए विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण खोला जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे अकन किया जा चुका है। वर्तमान में विजयलक्ष्मी उक्त भूमि की खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजी के विक्रय के संबंध में सिविल न्यायालय में वाद पेण्डिंग है। इस वाद के साथ संलग्न किये गये स्थगन संबंधी प्रार्थना पत्र को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 05.02.2018 के द्वारा खारिज किया जा चुका है। उक्त आदेश की अपील अपीलान्टस की ओर से जिला एवं सत्र न्यायाधीश सवाई माधोपुर में पेश की गई है। जिसकी अपील संख्या 8/18 थी। इस अपील को भी दिनांक 16.02.2022 को उभयपक्षों की बहस सुनकर खारिज किया जा चुका है। अपीलान्ट बैकडोर से उक्त नामान्तकरण को तथ्यों को छिपाकर निरस्त कराना चाहता है। जिसका कोई अधिकार अपीलान्ट को नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कई नजीरों में इस तरह का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि नामान्तकरण के जरिये किसी भी पक्षकार को हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। नामान्तकरण की कार्यवाही एक संक्षिप्त फिसकल प्रोसीडिंग है। जिसका प्रयोग एकमात्र वित्तीय प्रयोजनार्थ है। किसी भी पक्षकार को अपने हक व अधिकारों के लिए सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत वाद में आई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर हक व अधिकार हासिल किये जा सकते हैं। नामान्तकरण की कार्यवाही में इस तरह के अधिकार हासिल नहीं किये जा सकते हैं। अतः इस आधार पर भी अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी खण्डार ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.12.2016 रिकार्ड व तथ्यों के आधार पर पारित किया है। अपीलान्ट की ओर से उप जिला कलक्टर खण्डार के न्यायालय में नामान्तकरण संख्या 1468 दिनांक 22.03.84 के विरूद्ध पेश अपील व अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील में भिन्न–भिन्न तथ्य अंकित किये हैं। अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत अपील में यह कहीं अंकन नहीं किया कि लड्डू द्वारा धूड्या को गोद लिया गया था और न ही धूड्या को दत्तक पुत्र होने का अंकन किया। विवादित आराजी खसरा नंबर 656 जिसके नये नंबर 2114/656 रकबा 5 बीघा है, सिवायचक भूमि थी। जिसे सर्वप्रथम भोरया ने जोता हो ऐसा कहीं भी अपील में अंकन नहीं है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट के मन में बदनीयती आने के कारण रैस्पोडेन्ट के हिस्से की भूमि को जबरन छीनने पर उतारू है। अपीलान्ट की ओर से उप जिला कलक्टर खण्डार के न्यायालय में प्रस्तुत की गई अपील के साथ संलग्न शपथ पत्र में धूड्या उर्फ धूडीलाल पुत्र भोरया का अंकन किया है। दत्तक पुत्र का अंकन कहीं नहीं है। इससे स्पष्ट है कि धूड्या को लड्डू ने न तो कभी गोद लिया था और न ही वह कभी लड्डू के साथ रहा है। अपीलान्ट द्वारा सिविल न्यायाधीश सवाई माधोपुर के समक्ष एक वाद पत्र संख्या 37/17 प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा 32/17 पेश किया था। जिसमें खसरा नंबर 656 के नवीन खसरा नंबर 2114/656 रकबा 5 बीघा को अपीलान्टगण के दादा व धूड्या के पिता भोरया द्वारा जोता जाना एवं धूड्या को नाबालिग अवस्था में लड्डू द्वारा गोद लिया जाना अंकित किया है, जो कि मनगढंत,

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

बेबुनियाद व असत्य है। माननीय न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा संबंधी प्रार्थना पत्र को दिनांक 05.02.2018 को खारिज किया है। इसके विरूद्ध जिला एवं सत्र न्यायाधीश सवाई माधोपुर के न्यायालय में अपील पेश किये जाने पर अपील को भी निर्णय दिनांक 16.02.2022 के द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त प्रकरण में वास्तविकता यह है कि आराजी खसरा नंबर 656 को सर्वप्रथम 2025 से सम्वत 2032 तक लड्डू पुत्र सोन्या नाई ने जोती है। अपीलान्ट व अपीलान्ट के पिता धूड्या एवं धूड्या के पिता भूरया द्वारा उक्त जमीन को कभी भी नहीं जोता गया है और न ही काश्त की गई। जिसकी पुष्टि खतरा परिवर्तनशील से हो रही है। जमाबन्दी सम्वत 2036 से 2039 से स्पष्ट है कि उक्त आराजी को सर्वप्रथम लड्डू पुत्र सोन्या ने जोता था। जिसके आधार पर भूमि आवंटित होने पर गैर खातेदारी दर्ज हुई थी व इसके बाद खातेदारी दर्ज हुई। मतदाता सूची 1983 के अनुसार अपीलान्ट के पिता धूड्या की उम्र 35 वर्ष दर्ज रिकार्ड है। अर्थात् धूड्या का जन्म 1948 में हुआ है तथा लड्डू को उक्त भूमि का आवंटन गैर खातेदारी दिनांक 23.11.1972 को हुई। उक्त आवंटन व गैर खातेदारी के समय धूड्या की उम्र 24 वर्ष थी एवं खातेदारी के समय 33 वर्ष थी। इससे स्पष्ट है कि जिस समय लड्डू को भूमि आवंटित हुई। उस समय अपीलान्ट के पिता की उम्र 24 वर्ष थी अर्थात नाबालिग नहीं था। जबकि अपीलान्ट की ओर से अपील में 8 वर्ष का होना अंकित किया है, जो कि गलत है। धूड्या के पिता भोरया की मृत्यु के समय भी धूड्या बालिग था। जिसकी पुष्टि सर्वे रिपोर्ट 2002 से भलीभांति हो रही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.12.2016 यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्ट के द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.12.2016 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 17.05.2017 को अपील पेश की गई है, जो कि मियाद बाहर पेश किये जाने के कारण अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। अपीलान्टस की ओर से अपील को पेश करने में हुए विलम्ब के संबंध में मीमो आफ अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसमें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी उनके अभिभाषक से दिनांक 27.02.2017 को होने पर नकल हेतु दिनांक 02.03.2017 को नकल प्राप्त करने व नकल प्राप्त करने के बाद जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील पेश किये जाने का उल्लेख किया गया है तथा अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने का अनुरोध किया है। अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्टस को अपीलाधीन आवंटन आदेश की जानकारी प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक के पूर्व से रही हो। वैसे भी माननीय राजस्व मण्डल व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि अपीलीय न्यायालय को मियाद संबंधी बिन्दु पर उदार रूख रखना चाहिए तथा तकनीकी बिन्दु पर अपील को खारिज करने से बचना चाहिए। उक्त प्रकरण में अपीलान्टस की ओर से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

पत्र पेश किया गया है व इसके विपरित कोई दस्तावेज हमारे समक्ष उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलान्टस की ओर से अदालत मातहत में अपील पेश किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट की बहस सुनने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.12.2016 को पारित किया है। जिसमें यह उल्लेख किया है कि पत्रावली में शामिल मूल नामान्तकरण पर पटवारी हल्का द्वारा सजरा खानदान अंकित किया हुआ है। जिसके अनुसार सोन्या के 3 लड़के लड्डू, भोरया व माधो दर्ज हैं। ग्राम पंचायत की ओर से नामान्तकरण का निर्णय करते हुए यह अंकित किया गया है कि लड्डु नाई फौत हो चुका है। जिसके भाई भोरया का लड़का धूड्या व खास भाई माधो एकमात्र उत्तराधिकारी है। अपीलान्ट ने भी स्वीकार किया है कि भोरया लड्डू से पहले ही फौत हो गया है। अपीलान्ट की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट होता हो कि विवादग्रस्त भूमि लड्डू को आवंटित हुई है। उपलब्ध साक्ष्य से यह साबित है कि सोन्या के 3 पुत्र लड्डू, भोरया व माधो थे। इस तथ्य को अपीलान्ट भी स्वीकार करते हैं। इनमें से लड्डू लाऔलाद फौत होने पर लड्डू की भूमि उसके भाई भोरया के पुत्र धूड्या एवं सगे भाई माधो के हिस्से में आई है। भोरया के वारिस अपीलान्ट व माधो के वारिस रैस्पोडेन्ट हैं। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड खसरा गिरदावरी सम्वत 2041 से लगातार धूड्या पुत्र भोरया व माधो का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। इस रिकार्ड में कहीं भी लड्डू का नाम दर्ज नहीं है। इससे यह साबित है कि लड्डू का स्वर्गवास पूर्व में ही हो चुका था। लड्डू के लाऔलाद स्वर्गवास होने के कारण लड्डू की भूमि का नामान्तकरण ग्राम पंचायत द्वारा माधो एवं दूसरे भाई भोरया के पुत्र धूड्या के नाम खोला गया है। जिसे सही मानते हुए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किया गया है। उक्त निर्णय में किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि प्रथम तो अपीलान्ट की ओर से ग्राम पंचायत की ओर से स्वीकृत किये गये नामान्तकरण के विरूद्ध अदालत हाजा में मियाद बाहर अपील पेश की गई थी तथा अदालत हाजा में भी मियाद बाहर अपील पेश की गई है। जिसे दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के आधार पर अन्दर मियाद शुमार किया गया है। यह निर्विवाद है कि विवादित भूमि का आवंटन लड्डू पुत्र सोन्या नाई को किया गया है, परन्तु लड्डू द्वारा अपीलान्टस को गोद लिये जाने के संबंध में किसी तरह का कोई दस्तावेज न तो अदालत हाजा में और न ही अदालत मातहत में अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत किया गया है। केवल मौखिक रूप से इस तथ्य का उल्लेख किया गया है। दूसरी ओर रैस्पोडेन्ट की ओर से अदालत हाजा में सी.पी.सी. के आदेश 41 नियम 27 के तहत प्रस्तुत किये गये विभिन्न दस्तावेजात से यह साबित होता है कि अपीलान्ट के पिता धूड्या के पिता का नाम भोरेलाल था। जिसकी पुष्टि विभिन्न दस्तावेजात से हो रही है। इसके अलावा अपीलान्ट के पिता धूडीलाल की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत की गई अपील में भी स्वयं को भोरया का पुत्र होना बताया है। इसी तरह अपीलान्टस की ओर से वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सवाई माधोपुर की ओर से प्रस्तुत किये गये स्थगन संबंधी प्रार्थना पत्र को भी निर्णय दिनांक 05.02.2018 के द्वारा खारिज किया गया है। इस निर्णय के विरूद्ध जिला एवं सत्र

न्यायाधीश के न्यायालय में अपील पेश किये जाने पर उक्त अपील भी निर्णय दिनांक 16.02.2022 के द्वारा खारिज की गई है।

वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा दिया गया यह तर्क भी मानने योग्य है कि किसी भी पक्ष के हक–हकूक व अधिकार नामान्तकरण संबंधी कार्यवाही में तय नहीं किये जा सकते। वरन् इसके लिए सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर हक–हकूक व अधिकार तय कराए जा सकते हैं। उक्त प्रकरण में अपीलान्टस की ओर से सिविल न्यायालय में पृथक से वाद प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.12.2016 जिसके द्वारा ग्राम पंचायत की ओर से स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 1468 दिनांक 22.03.84 को यथावत रखा गया है, में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी खण्डार द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.12.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 28.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28.12.2023

(साँवर मल वर्मा)
सभागीय आयुक्त
भरतपुर

सभागीय आयुक्त
भरतपुर, भरतपुर